न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री कैलास चन्द्र लखारा ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 142 / 2016

उनवान

1. सोमेन्द्र कुमार पुत्र परसराम जाति सोनी, निवासी आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती मंजू देवी पत्नि मांगी लाल ब्राह्मण निवासी आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. श्रीमती प्रभा उर्फ प्रेमदेवी पत्नि रूप लाल ब्राह्मण निवासी आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 464 / 2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.2.2016

अभिभाषक : 1. श्री रमेश चन्द्र शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री के जी शर्मा , अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1, 2
3.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

आदेश

दिनांक 26.12.2019

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 / वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाता संख्या 424 जमाबंदी 2069 से 2072 ग्राम बराणा पटवार हल्का बराणा, तहसील आसीन्द में आराजी नम्बर 2771/5124 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 2775 रकबा 0.03 है0, आराजी नम्बर 2776 रकबा 0.23 है0, आराजी नम्बर 2789 रकबा 0.03 है0, आराजी नम्बर 2790 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 2791 रकबा 0.03 है0, आराजी नम्बर 2792 रकबा 0.04 है0,आराजी नम्बर 2793 रकबा 0.10 है0, आराजी नम्बर 2794 रकबा 0.05 है0, आराजी नम्बर 2795 रकबा 0.08 है0, आराजी नम्बर 2796 रकबा 0.12 है0, आराजी नम्बर 2797 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 2798 रकबा 0.16 है0, आराजी नम्बर 2799 रकबा 0.58 है0, कुल किता 14 कुल रकबा 1.57 हैक्टर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादीगण को उक्त खाते में से 1/2 हिस्सा अपना वादीगण के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 18.12.1999 को बेचान कर कब्जा सिपुर्द कर दिया और विक्रय पत्र में पडौस में आराजी नम्बर 2797 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 2798 रकबा 0. 16 है0, आराजी नम्बर 2799 रकबा 0.58 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.78 है0 पर व चाह संख्या 2789 का1/2 हिस्सा बेचान से विक्रय पत्र में पडौस दर्ज करते हुए मगनानाथ ने अपना कब्जा वादीगण को सिपुर्द कर दिया । जिस पर आज तक वादीगण का लगातार कब्जा चला आ रहा है और चारों ओर अपने हक हिस्से में थोहर की बाड लगा रखी है।

2. प्रतिवादी की जानकारी में होते हुए में उसके द्वारा आराजी नम्बर 2797,2798,2799 का सम्पूर्ण रकबा 0.78 है0 वादीगण को बेचान कर दिया। फिर भी यह जानते हुए व मानते हुए पुनः प्रतिवादी नम्बर 1 ने प्रतिवादीगण

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

गिरधारीनाथ, भैरूनाथ, लादूनाथ पिता गोपीनाथ, नानूनाथ पिता लच्छुनाथ, हजारीनाथ, कानानाथ, लीला पिता देवानाथ, राजी पत्नी देवानाथ जोगी निवासी कांवलास से जरिये विक्रय पत्र आराजीनम्बर 2796 रकबा 0.12 है0, आराजी नम्बर 2798 रकबा 0.16 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.28 है0,में से अपना 7/24 हिस्सा सम्पूर्ण प्रतिवादी मगनानाथ ने प्रतिवादीगणो से खरीद किया। जबकि 7/24 भू भाग आराजी नम्बर 2796 रकबा 0.12 है0 में से ही 0.035 है0 का पंजीयन अपने नाम करवाना चाहिये था। और उक्त विक्रय पत्र में आराजी नम्बर 2796 का रकबा 0.16 है0 मिलाने से वादीगण को बिनायवाद पैदा हुई। उक्त प्रतिवादी मगनानाथ ने अपने नाम विक्रय पत्र तादादी 25000/—रूपये मे दिनांक 2.7.2013 को करवाया व इन्तकाल नम्बर 1290 दिनांक 5.7.2013 को पटवार हल्का बराणा ने दर्ज कर पंचायत कोरम के समक्ष पेश किया जिसको एकमात्र सरपंच ने सहखातेदारों को बिना सूचना किये बिना सुने दिनांक 21.7.2013 को फैसल किया। जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के खेत पर व सामलाती कुए पर आने जाने के लिए सामलाती रास्ते व धोरे का खुलासा भी विभाजन के साथ कर दिया जावे।

3. अतः बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण वादग्रस्त वर्णित खाता संख्या 424 की आराजियात का विभाजन 1/2 हिस्सा आराजी नम्बर 2789 रकबा 0.03 है0, गैर मुमकिन आता चाह 2797 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 2798 रकबा 0.16 है0, एवं 2799 रकबा 0.58 है0 कुल किता 3 रकबा 0.78 है0 भूमि वादीगण के कब्जे व विक्रय अनुसार विभाजन की डिक्री मय लगान की तसरीके के साथ प्रदान की जावे। साथ ही बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी नम्बर 2796 रकबा 0.12 है0, में से 7/24

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

हिस्सा प्रतिवादीगण के हिस्से में से कम करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम डिक्री प्रदान की जावे। तथा शेष आराजियात में प्रतिवादीगण का जमाबंदी के अनुसार हिस्सा रखा जावे।

4. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री प्राप्त की गई एवं बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11.2.2016 पारित की गई। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

5. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई एवं उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के साथ धा 96 सी पी सी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द का निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.2.2016 के विरूद्ध प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में उपरोक्त उनवानी अपील प्रस्तुत की जा रही है। वादग्रस्त भूमि में निहित प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा अपीलाण्ट ने भिन्न पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 3.3. 2016 को खरीद कर कब्जा प्राप्त कर लिया और नामान्तरकरण संख्या 1617 एवं 1618 दिनांक 5.4.2016 को अपीलाण्ट के नाम स्वीकृत हो चुके हैं। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को बिना सुने एवं बिना नोटिस दिये एकतरफा में निर्णय पारित किया है जो कि प्रार्थी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव डालने वाला आदेश है। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के निर्णय व डिक्री दिनांक 11.2.2016 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की जावे।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

7. अपीलार्थी के अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करने से पहले अपीलार्थी/प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया एवं न ही कोई नोटिस ही जारी किया जिससे अपीलार्थी/प्रार्थी अपना पक्ष प्रस्तुत करने से वंचित रह गया । अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 18.6.2016 को देने पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की जानकारी हुई। तब जाकर अपीलार्थी ने दिनांक 20.6.2016 को नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया तथा नकल प्राप्त होने पर अविलम्ब अपील प्रस्तुत की गई है। अतःअपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार कर अपील अपीलार्थी अन्दर मियाद मानी जावे।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को बिना विधिवत नोटिस दिये एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये तथा पटवारी हल्का की एकतरफा कुरेजात रिपोर्ट के आधार पर एवं उसी पर प्रतिवादीगण के एतराज जाने बिना मनमाने तरीके से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

9. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान बोर्ड ऑफ रेवेन्यू(टिनेन्सी रूल्स) 1955 के नियम 20 एवं 21 के अनुसार अंतिम विभाजन करते समय भूमि की किस्म उपजाऊ क्षमता, कीमत एवं रास्ते की उपलब्धता के साथ–साथ

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

सहखातेदारान के कब्जे की स्थिति को भी देखा जाना होता है। उक्त नियम आज्ञापक है लेकिन प्रस्तुत प्रकरण में बिना किसी उक्त वर्णित आज्ञापक प्रावधानों की पालना किये मनमाने तौर पर प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत जाकर रेस्पोडेण्ट को नाजायज लाभ पहूँचाने की गरज से जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि अपीलाण्ट को अपने हिस्से में आये खेतों पर जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है जबकि रेस्पोडेण्ट के सभी खेत भीलवाडा–ब्यावर राष्ट्रीय राजमार्ग पर आ गये है जिससे न केवल अपीलाण्ट के लिए उक्त भूमि के उपयोग एवं उपभोग में भारी परेशानी हो गई है बल्कि कीमत में भी भारी अन्तर हो गया है। जो कानून के आज्ञापक सिद्धान्त प्रावधानों के विपरीत एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है।

अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि खसरा नम्बर 2798 में प्रतिवादीगण का 1/2 हिस्सा पृथक से था । जिसका विभाजन विधिक रूप से आवश्यक था लेकिन रेस्पोडेण्ट को सम्पूर्ण हाईवे के नजदीक भूमि देने की नियत से एवं प्रतिवादीगण अपीलाण्ट को कम कीमत एवं रास्ते से काफी दूर भूमि बंटवाडे में देने की नियत से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है जो निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11.2.2016 को निरस्त की जावे एवं वाद को निरस्त किया जाकर तथा प्रार्थी के हक में दादरसी प्रदान कराई जावे।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपती प्राधिकारी, भीलवाड़ा

12. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता ने अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी को खारिज किये जाने का निवेदन किया एवं कथन किया कि अपीलार्थी अधीनस्थ न्यायालय में जब दावा प्रस्तुत किया उस समय वादग्रस्त आराजियात के सहखातेदार काश्तकार नहीं थे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरान्त निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री 29.5.2015 पारित की गई। अपीलार्थी निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 29.5.2015 से पीडित नहीं है एवं इस बाबत अपीलार्थी का कोई कथन नहीं है। अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार संयोजित करने बाबत न तो अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं न ही विक्रेता/सहखातेदार ही पक्षकार संयोजित किये जाने बाबत कोई आवेदन पत्र ही प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थी को चाहिये था कि यदि वे पक्षकार संयोजित होना चाहते थे तो अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त भूमि के जुज भाग को क्रय करने के आधार पर एवं जमाबंदी में इन्द्राज के आधार पर पक्षकार संयोजित किये जाने हेतु आवेन कर सकते थे। अपीलार्थी द्वारा ऐसा कोई आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एंव प्रारंभिक डिक्री के उपरान्त बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने पर निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11.2.2016 को पारित की गई है। अपीलार्थी ने निर्णय एंव अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति चाही है। जबकि निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री से अपीलार्थी/प्रार्थी प्रताडित नहीं है ऐसी स्थिति में उसे निर्णय एवं अंतिम डिकी अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार ही उपलब्ध नहीं होता है। ऐसी स्थिति मे अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र ही निरस्त योग्य ठहरता

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं प्रदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी को खारिज किया जावे।

13. अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को भी अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का समुचित कारण नहीं दर्शाने के कारण अपील को मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

14. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता ने मेरिट पर बहस के दौरान निवेदन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 /वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाता संख्या 424 जमाबंदी 2069 से 2072 ग्राम बराणा पटवार हल्का बराणा, तहसील आसीन्द में आरी नम्बर 2771/5124 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 2775 रकबा 0.03 है0, आराजी नम्बर 2776 रकबा 0.23 है0, आराजी नम्बर 2789 रकबा 0.03 है0, आराजी नम्बर 2790 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 2791 रकबा 0.03 है0, आराजी नम्बर 2792 रकबा 0.04 है0,आराजी नम्बर 2793 रकबा 0.10 है0, आराजी नम्बर 2794 रकबा 0.05 है0, आराजी नम्बर 2795 रकबा 0.08 है0, आराजी नम्बर 2796 रकबा 0.12 है0, आराजी नम्बर 2797 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 2798 रकबा 0.16 है0, आराजी नम्बर 2799 रकबा 0.58 है0, कुल किता 14 कुल रकबा 1.57 हैक्टर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादीगण को उक्त खाते में से 1/2 हिस्सा अपना वादीगण के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड बेचान दिनांक 18.12. 1999 को बेचान कर कब्जा सिपुर्द कर दिया और विक्रय पत्र में पडौस में आराजी नम्बर 2797 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 2798 रकबा 0.16 है0, आराजी नम्बर 2799

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

रकबा 0.58 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.78 है0 पर व चाह संख्या 2789 का 1/2 हिस्सा बेचान से विक्रय पत्र में पडौस दर्ज करते हुए मगनानाथ ने अपना कब्जा वादीगण को सिपुर्द कर दिया । जिस पर आज तक वादीगण का लगातार कब्जा चला आ रहा है और चारों ओर अपने हक हिस्से में थोहर की बाड लगा रखी है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजियात को पडौस दर्शाते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1व 2 ने प्रतिवादीगण संख्या 1 मगनानाथ से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया थां। जिसमें अन्य सहखातेदारान को कोई आपत्ति नहीं थी। विक्रय पत्र मे दर्शाये गये पडौसो के मध्य की आराजियात पर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वीदगण को विक्रेता द्वारा कब्जा संभलाया गया जिस पर वे क्रय तिथि से काबिज काश्त चले आ रहे हैं। इस बाबत किसी भी प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं थी। इसी आधार पर प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/ वादीगण ने वादग्रस्त आराजियात का विभाजन कराने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया । अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण सहमति से वाद पत्र को निस्तारित करते हुए निर्णय एंव प्रारंभिक डिक्री दिनांक 29.5. 2015 को पारित की है। जिसकी कोई अपील प्रतिवादीगा द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई। प्रतिवादीगण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री से सहमत थे। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को निर्णय एवं अंतिम डिक्री की अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार ही नहीं रहता है। विक्रेता प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण को वादग्रस्त आराजियात का 1/2 हिस्सा विक्रय करने एवं कब्जा सुपुर्द करने तथा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/वादीगण का विक्रयसुदा भूमि मय पडौस पर कब्जा होने की भी जानकारी प्रतिवादीगण को थी परन्तु उनके द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को वादग्रस्त आराजियात

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

में विक्रय सुदा भूमि बाबत जानकारी अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत करनी चाहिये थी। जो उनके द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई एवं न ही अपीलार्थी को पक्षकार ही संयोजित किये जाने हेतु कोई आवेदन पत्र ही प्रस्तुत किया एवं न ही अपीलार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकार संयोजित किये जाने हेतु ही कहा गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव प्राप्त होने पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की जा चुकी है ऐसी स्थिति में यदि अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त भूमि का शेष भूभाग सहखातेदार से क्रय किया जाता है एवं राजस्व रेकार्ड में दर्ज भी किया जाता है तो वे क्रय सुदा भू भाग के लिए सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहॉ वाद प्रस्तुत करने के स्वतंत्र है।

15. प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्देश पर जो बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया है वह मौके पर कब्जे अनुसार ही तैयार किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी क्रय सुदा भू भाग जो कि विक्रेता द्वारा अपीलार्थी को विक्रय किया गया है । विक्रेता के फुट स्टेप पर उसके हिस्से मे आये भू भाग को अपने नाम पर दर्ज कराने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

16. अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय एंव प्रारंभिक डिक्री दिनांक 29.5.2016 एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11.2.2106 पारित की है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे। अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपने तर्को की पुष्टि में न्यायिक उद्धरण आर बी जे 2012 (एस0सी0) पेज संख्या 713 , डी एन जे 2003 (1) पेज 34, आर आर डी 2005 पेज संख्या 305, आर आर डी 2012 पेज संख्या 276, आर आर टी 2010 II पेज संख्या

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

801, आर बी जे 2000 (7) पेज 170 , आर आर डी 2002 पेज संख्या 876, आदेश 1 नियम 9 सी पी सी तथा डी एन जे 1998 पेज 61 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए अपील अपीलार्थी खारिज किये जाने का निवेदन किया ।

17. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, राजस्व रेकार्ड, तथा अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण का प्रकरण के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया । अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा जो कारण अंकित किये हैं वे सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किये जाते हैं।

18. प्रत्यर्थी संख्या 1व 2/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खाता संख्या 424 जमाबंदी 2069 से 2072 ग्राम बराणा पटवार हल्का बराणा, तहसील आसीन्द में आराजी नम्बर 2771/5124 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 2775 रकबा 0.03 है0, आराजी नम्बर 2776 रकबा 0.23 है0, आराजी नम्बर 2789 रकबा 0.03 है0, आराजी नम्बर 2790 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 2791 रकबा 0.03 है0, आराजी नम्बर 2792 रकबा 0.04 है0,आराजी नम्बर 2793 रकबा 0.10 है0, आराजी नम्बर 2794 रकबा 0.05 है0, आराजी नम्बर 2795 रकबा 0.08 है0, आराजी नम्बर 2796 रकबा 0.12 है0, आराजी नम्बर 2797 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 2798 रकबा 0.16 है0, आराजी नम्बर 2799 रकबा 0.58 है0, कुल किता 14 कुल

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

रकबा 1.57 हैक्टर राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रतिवादी नम्बर 1 ने वादीगण को उक्त खाते में से 1/2 हिस्सा व चाह संख्या 2789 का 1/2 हिस्सा विक्रय पत्र में पडौस दर्ज करते हुए दिनांक 18.12.1999 को बेचान कर कब्जा सिपुर्द कर दिया । जिस पर आज दिन तक वादीगण का लगातार कब्जा चला आ रहा है और चारों ओर अपने हक हिस्से में थोहर की बाड लगा रखी है। उक्त आधार पर वादीगण ने निवेदन किया कि बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण वादग्रस्त वर्णित खाता संख्या 424 की आराजियात का विभाजन 1/2 हिस्सा आराजी नम्बर 2789 रकबा 0.03 है0, गैर मुमकिन आता चाह 2797 रकबा 0.04 है0, आराजी नम्बर 2798 रकबा 0.16 है0, एवं 2799 रकबा 0.58 है0 कुल किता 3 रकबा 0.78 है0 भूमि वादीगण के कब्जे व विक्रय अनुसार विभाजन की डिक्री मय लगान की तसरीके के साथ प्रदान की जावे। साथ ही बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादी वादग्रस्त आराजी नम्बर 2796 रकबा 0.12 है0, में से 7/24 हिस्सा प्रतिवादीगण के हिस्से में से कम करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 के नाम डिक्री प्रदान की जावे। तथा शेष आराजियात में प्रतिवादीगण का जमाबंदी के अनुसार हिस्सा रखा जाने का भी निवेदन किया ।

19. अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र दिनांक 10.7.2014 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.8. 2014 नियत की गई। दिनांक 11.8.2014 को बार संघ द्वारा पैरवी कार्य स्थगित रखे जाने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 26.11.2014 नियत की गई। दिनांक 26.11.2014 को फर्द अहकाम में " सम्मन बाद सर्विस प्राप्त जो शा0मि0 हो। मिसल वास्ते पावर –जवाब दिनांक 11.12.2014 को पेश होने बाबत अंकन करते आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.12.

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

2014 को नियत की गई। दिनांक 11.12.2014 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 5.1.2015 को वास्ते पॉवर व जाब हेतु नियत की गई। दिनांक 5.1.2015 को पीठासीन अधिकारी के चुनाव कार्य में व्यस्त होने से आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.4.2015 नियत की गई। नियम आगामी तारीख पेशी दिनांक 13.4.2015 को प्रतिवादी संख्या 1 से 15 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये एवं आगामी तारीख पेशी दिनांक 1.6.2015 नियत की गई।

20. नियत दिनांक 1.6.2015 से पूर्व ही दिनांक 29.5.2015 को प्रकरण को लोक अदालत कैम्प मुख्यालय कांवलास पर रखा गया । उक्त दिनांक को प्रतिवादी संख्या 2 गिरधारी पिता गोपीनाथा एवं प्रतिवादी संख्या 8 रूपनाथ पिता छोगानाथ कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुए एवं विभाजन से सहमति व्यक्त की तथा आदेशिका पर सहमति स्वरूप हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी की । जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 29.5.2019 को लोक अदालत की भावना से प्रकरण में निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को लोक अदालत में रखे जाने बाबत सूचना पत्र उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने बाबत दिनांक 22.5.2015 को जारी किया गया । उक्त सूचना पत्र का अवलोकन किया गया । उक्त सूचना पत्र की पुश्त प्रतिवादी संख्या 1 से 10 की तामील बाबत मगनानाथ के हस्ताक्षर हैं, प्रतिवादी संख्या 11 की तामील स्वयं नानुनाथ के हस्ताक्षर द्वारा होना तथा प्रतिवादी संख्या 12 से 15 की तामील मगनानाथ के हस्ताक्षर द्वारा की गई है। इस प्रकार उक्त सूचना पत्र के अवलोकन से यह भलीभॉति प्रकट होता है कि कुल 15 प्रतिवादी में से 14 प्रतिवादी की तामील मगनानाथ प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा की गई है। विक्रेता मगनानाथ पिता गोकुल नाथ जोगी द्वारा

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

वादग्रस्त आराजियात में से राजस्व रेकार्ड में दर्ज अपना 1/2 हक हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2/ वादीगण को पडौस दर्शाते हुए विक्रय किया है। जबकि राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार हीं विक्रय पत्र दिनांक 18.12.99 में भी वादग्रस्त आराजियात में विक्रेता मगनानाथ पिता गोकुलनाथ का 1/2 हक हिस्सा निहित था। विक्रय पत्र में विक्रेता मगनानाथ पिता गोकुलनाथ द्वारा वादग्रस्त आराजियता के पडौस दर्शाते हुए विक्रय किया है परन्तु राजस्व रेकार्ड में सहखातेदारान के मध्य विभाजन होकर विक्रयसुदा भूमि हिस्से अनुसार विक्रेता के नाम पर दर्ज नहीं थी।

21. राजस्व लोक अदालत में भी प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 8 ही उपस्थित रहे है। शेष प्रतिवादीगण अनुपस्थित रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री दिनांक 29.5.2015 राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार एवं मौके पर काबिज होने के अनुसार पारित करते हुए तहसीलदार से बंटवाडा प्रस्ताव तलब किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव दिनांक 3.2.2016 को पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार किया गया । जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11.2. 2016 पारित की गई है।

22. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र दर्ज होने के उपरान्त जो सम्मन जारी किये गये हैं उनकी तामील प्रोपर रूप से प्रतिवादीगण पर नहीं होने के उपरान्त भी तामील मानते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई । परन्तु निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से, मौके पर कब्जे अनुसार पारित की गई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री को लोक अदालत में उपस्थिति बाबत जो सूचना पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भिजवाया गया

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

उसकी पुश्त का अवलोकन करने से यह भलीभॉति साबित होता है कि प्रतिवादीगण पर लोक अदालत हेतु जारी सूचना पत्र की प्रोपर तामील भी नहीं हो पाई थी। जबकि धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सहखातेदारान के मध्य विभाजन हेतु तहसीलदार द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित किया जाना अनिवार्य है तथा किसी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो उसका निस्तारण किया जाना आवश्यक है। अपीलाधीन प्रकरण में बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किये जाने से पूर्व उभयपक्ष की उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की गई है। यहॉ तक कि बंटवाडा प्रस्ताव पर वादीगण के भी हस्ताक्षर नही है। अपीलाधीन प्रकरण में तैयार किया गया विभाजन प्रस्ताव बनाने हेतु विभाजन नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18–21 के अनुसार स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर मौका निरीक्षण किया जाकर बंटवाडा प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया है जबकि स्वयं तहसीलदार द्वारा मौके जाकर मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन प्रस्ताव बनाना आवश्यक है । अपीलाधीन प्रकरण में पटवारी हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्ष द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित की गई है। जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण आर आर टी 2014 (2) पेज 1157, आर आर टी 2015 (2) पेज 990, आर आर टी 2016 (1) पेज 87, आर आर टी 2017 (1) पेज 613, आर आर टी 2017 (1) पेज 221 आर आर टी 2017 (1) पेज 610 में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है।

23. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजियात में से प्रतिवादीगण का

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

निहित 1/2 हिस्सा भिन्न पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दिनांक 3.3.2016 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। नामान्तरकरण संख्या 1617 एवं 1618 दिनांक 5.4.2016 को अपीलाण्ट के नाम क्रयसुदा भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जा चुकी थी। चूंकि प्रतिवादीगण द्वारा 1/2 शेष भू भाग विक्रय किया गया उससे पूर्व प्रतिवादीगण को निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किये जाने की जानकारी नहीं थी। चूंकि उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित की गई थी। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण द्वारा अपीलार्थी को जो वादग्रस्त भूमि का 1/2 हिस्सा विक्रय किया गया है उसमें किसी तरह के पडौस अंकित नहीं किये गये हैं। बल्कि 1/2 हिस्सा विक्रय किया गया है।

24. प्रत्यर्थीगण का कथन है कि उसके द्वारा जो भूमि क्रय की गई है उसके पडौस अंकित किये गये हैं उसी अनुसार प्रत्यर्थी संया 1 व 2 का कब्जा भी चला आ रहा है। जबकि विक्रय पत्र में सहखातेदारान के विक्रय में सहमति स्वरूप हस्ताक्षर नहीं है। ऐसी स्थिति में सहखातेदार को आराजी विशेष का पडौस दर्शाते हुए विक्रय नहीं किया जा सकता है। यद्यपि विक्रय पत्र मे पडौस दर्शाये गये है परन्तु राजस्व रेकार्ड में उस अनुसार इन्द्राज नहीं होकर 1/2 आराजियात बाबत ही इन्द्राज किया गया है। सहखातेदारान को बिना विभाजन कराये एवं राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराये आराजी विशेष का पडौस दर्शाते हुए विक्रय नहीं किया जा सकता है।संयुक्त खातेदारी की आराजियात में सभी सहखातेदारान का प्रत्येक भू भाग पर समान रूप से हक हिस्सा निहित होना माना जाता है। बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय भूमि की किस्म, उसके हिस्से में आने वाली भूमि से रास्ते तक पहॅूचने की स्थिति एवं कुए तक पहॅूचने के बिन्दु को

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

ध्यान मे रखा जाना आवश्यक है। अपीलार्थी का कथन है कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के हिस्से में सडक के सहारे वाली भूमि विभाजन प्रस्ताव में रखी गई है जबकि अपीलार्थी का हिस्सा प्रत्यर्थी संख्या 1व 2 /वादीगण के पीछे की तरफ रखा गया है जिससे अपीलार्थी जो कि 1/2 हिस्से का खातेदार है जो कि शेष प्रतिवादीगण के फुट स्टेप पर आया है ।

25. अपीलाधीन प्रकरण में चूंकि निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री पारित करते समय भी अपीलार्थी ने वादग्रस्त आराजियात का 1/2 शेष भू भाग क्रय नहीं किया था । तथा बंटवाडा प्रस्ताव तैयार करते समय भी वादग्रस्त आराजियात में अपीलार्थी का किसी प्रकार से वादग्रस्त आराजियात में हक अधिकार निहित नहीं हो पाये थे। अधीनस्थ न्यायालय ने बंटवाडा प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 11.2.2016 को पारित की है। अपीलार्थी ने वादग्रस्त अराजियात में 1/2 भू भाग निर्णय एवं अंतिम डिक्री पारित किये जाने के बाद दिनांक 3.3.2016 को क्रय की है तथा नामान्तरकरण संख्या 1617 एवं 1618 दिनांक 5.4.2016 द्वारा राजस्व रेकार्ड में अपीलार्थी का नाम जमाबंदी में दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी जिन विक्रेतागण के फुटस्टेप पर आया है उनके हिस्से बाबत निर्णय एवं अंतिम डिक्री में विभाजन किया जा चुका है। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करते समय तत्कालीन खातेदार/विक्रेतागण को भी अपील में पक्षकार नहीं बनाया है जिससे उनके हक हिस्से के बंटवाडे बारे में कोई उजर नहीं कर सकता है एवं न ही कोई अनुतोष ही प्राप्त करने का अधिकारी है। अपीलार्थी निर्णय एवं प्रारंभिक डिक्री से पीडित पक्षकार नहीं था एवं निर्णय एवं अंतिम डिक्री के वक्त भी पीडित पक्षकार नहीं था। ऐसी

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

स्थिति में निर्णय एवं अंतिम डिक्री की अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार अपीलार्थी को नहीं है। न्यायिक उद्धरण आर बी जे 2012 (19) पेज 172 , डी एन जे (एस सी) 2003 (1) पेज 34 में भी यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। न्यायिक उद्धरण आर आर डी नवम्बर 2002 सानोदेवी भार्गव बनाम सोम प्रकाश भार्गव में यह यह मत व्यक्त किया है कि यदि किसी प्रभावित एवं हित रखने वाले व्यक्ति को परीक्षण न्यायालय ने पक्षकार नहीं बनाया है व कोई निर्णय व डिक्री पारित की है तो उसे अपील प्रस्तुत करने का अधिकार है। परन्तु अपीलाधीन प्रकरण में अपीलाधीन निर्णय एवं अंतिम डिक्री 11.2.2016 को पारित करने की तारीख तक अपीलार्थी प्रभावित पक्षकार नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। इसके विपरीत माननीय न्यायालय में यह मत प्रतिपादित किया है कि जबकि व्यक्ति प्रभावित व पीडित पक्षकार हो या निर्णय व डिक्री से उसे पाबन्द किया गया हो जो उसके हितों के विपरीत हो साथ में यह भी तय किया गया है कि अपील का अधिकार हर व्यक्ति को नहीं हो सकता है । किसी व्यक्ति के मामले में जब कानूनन कोई अधिकार हो उसे ही अपील प्रस्तुत करने का अधिकार हो सकता है। इस प्रकरण में अपील की Maintainability (पोषणीयता) पर विचार करते समय उक्त स्थिति को ध्यान मे रखकर परीक्षण किया गया। अपीलार्थी अपने कथनों को पर्याप्त साक्ष्य से साबित नहीं कर पाया है। अपीलाधीन प्रकरण में प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत न्यायिक उद्धरण वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर चस्पा होने से अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज योग्य पाई जाती है।

(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

26. अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.2.2016 को यथावत रखा जाता है। पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

27. निर्णय आज दिनांक 26.12.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री कैलास चन्द्र लखारा ,आर ए एस

अपील संख्या– आरटीए / 142 / 2016

उनवान

1. सोमेन्द्र कुमार पुत्र परसराम जाति सोनी, निवासी आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा

अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती मंजू देवी पत्नि मांगी लाल ब्राह्मण निवासी आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
2. श्रीमती प्रभा उर्फ प्रेमदेवी पत्नि रूप लाल ब्राह्मण निवासी आसीन्द तहसील आसीन्द जिला भीलवाडा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाडा

———रेस्पोडेण्ट्स

अपील विरूद्व आदेश उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द के प्रकरण संख्या 464 / 2014 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.2.2016

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आर**टीए / 142 / 2016** मे **उपखण्ड अधिकारी, आसीन्द** के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैं:–

यह अपील तारीख 26.12.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री रमेश चन्द्र शर्मा वकील एवं प्रत्यर्थी गण की ओर से श्री के जी शर्मा की उपस्थिति मे दिनांक 26.12.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि :–

अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.2.2016 को यथावत रखा जाता है।

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आज दिनांक 26.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. ाक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. ाक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस